IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, <u>KAIMUR AT BHABUA</u>

<u>Anticipatory Bail Petition N0.586 of 2026</u>

1. Ajit Kumar S/o Guput Singh R/o Vill.- Mohania Ward No.-11 & 2. Bholu Kumar S/o Munna Yadav, R/o Vill.- Devkali, Both P.S.-Mohania, Distt.- Kaimur (Bhabua) ----------Petitioners.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Durgawati P.S. Case No. 60 of 2026)

25.05.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन आवेदकगण **1. अजीत कुमार एवं 2. भोलू कुमार** की ओर से दाखिल किया गया है, जो **दुर्गावती थाना काण्ड** <u>सं0–60/2026</u> ***धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022*** के अपराध में अपनी गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के विन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बलदाउ सिंह एवं सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री निशीकांत निलेश को सुना तथा पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कूल निर्दोष हैं, उन्होंने कथित कोई अपराध नहीं किया है। उनके कब्जे से कोई अवैध शराब की बरामदगी नहीं की गई है और न हीं वे घटना स्थल पर से पकड़े गये हैं। आवेदकगण का नाम अभियुक्त रोहित कुमार के स्वीकारोक्ति पर इस मामले में आया है। इनका कथन है कि सह अभियुक्त के स्वीकृति के आधार पर आवेदकगण के यहॉ से कोई आपत्तिजनक बस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक सं0–2 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वहीं आवेदक सं0–1 के विरूद्ध पूर्व से एक मामला मोहनियॉ थाना काण्ड सं0– <u>761/2025</u> दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है, जो प्रस्तुत मामले से भिन्न प्रकृति का है। इनका कथन है कि आवेदकगण के कब्जे से कभी भी अवैध शराब की बरामदगी नहीं हुई है। वे बिल्कुल निर्दोष है। आवेदकगण के निर्दोष होने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत का अनुतोष दिया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा केस डायरी की विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लेख करते हुए आवेदकगण के अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभिकथन है कि कथित घटना तिथि एवं समय को गश्ती के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना पर कि एक अपाची मोटरसाईकिल रजि0नं0 BR45L-6505 से दो व्यक्ति शराब लेकर जा रहे है, जो हथियार भी रखता है। सूचक, सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए साथ के सशस्त्र बल के साथ सूचना के सत्यापन हेतु घटना स्थल पर चेकिंग प्रारंभ किया कि आ रही मोटरसाईकिल का चालक पुलिस वाहन को देखकर मोटरसाईकिल घुमाकर भागने लगा तथा पीछे बैठा एक व्यक्ति कुद कर अंधेरा का फायदा उठा कर भाग गया, जबकि उक्त मोटरसाईकिल चालक को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्त ने

IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.586 of 2026

1. Ajit Kumar S/o Guput Singh R/o Vill.- Mohania Ward No.-11 & 2. Bholu Kumar S/o Munna Yadav, R/o Vill.- Devkali, Both P.S.-Mohania, Distt.- Kaimur (Bhabua) ----------Petitioners.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Durgawati P.S. Case No. 60 of 2026)

लगातार/ 25.05.2026 अपना नाम रोहित कुमार यादव बताया। तत्पश्चात् विधिवत तलाशी लिया गया तो उक्त मोटरसाईकिल के पीछे सीट पर बंधे बोरा में से कुल 9 कार्टून में रखा हुआ 8PM Blend of Scotch & Indian Grain whisky 180ml का कुल 77.76 लीटर तथा एक कार्टून में रखा हुआ ब्ल्यू लाईम देशी शराब मसाला, कुल मात्रा 9 लीटर। इस प्रकार कुल देशी एवं विदेशी शराब की मात्रा 86.76 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। अभियुक्त रोहित कुमार यादव की तलाशी लेने पर उसके पास से दो स्क्रीन टच मोबाईल एवं 720 रूपया नगद बरामद हुआ। बरामद रियलमी 5जी मोबाईल को वह अपना बताया एवं दूसरा विवो कम्पनी के मोबाईल के संबंध में बताया कि वह स्क्रीन लॉक लगा हुआ मोबाईल भोलू यादव का है, जो पीछे बैठा था तथा यह भी बताया कि शराब उसका एवं भोलू यादव का है, वहीं दोनों शराब लेकर आ रहे थे और आगे–आगे अजीत कुमार लोकेशन दे रहा था। ।

केस डायरी में दर्ज साक्षियों ने अपने–अपने बयान में अभियोजन कथित घटना एवं जप्त उपरोक्त मोटरसाईकिल पर लदे बोरा, जिसमें व्यवसायिक मात्रा में कुल 86.76 लीटर अवैध देशी एवं विदेशी शराब बरामद किया गया है, के साथ गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कुमार यादव की रंगेहाथ गिरफ्तारी की घटना का पूर्ण समर्थन किया है। आवेदकगण का नाम गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कुमार यादव के बयान के आधार पर आया है, जिसने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि बरामद शराब उसका एवं भोलू यादव (आवेदक अभियुक्त) का है, जो उत्तर प्रदेश से ला रहे थे तथा अजीत कुमार (आवेदक अभियुक्त) उन्हें पुलिस का लोकेशन दे रहा था। इस मामले में अनुसंधानकर्ता के द्वारा दोनों आवेदकगण के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए मौके पर से गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कुमार यादव के विरूद्ध प्राथमिकी धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। जमानत आवेदन की कण्डिका–3 में यह कथन किया गया है कि आवेदक सं0–2 का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि आवेदक सं0–1 के विरूद्ध एक आपराधिक इतिहास, मोहनियाँ थाना काण्ड सं0– 761/2025 दर्ज है। यह मामला अभी अनुसंधान के अधीन है। अपराध की प्रकृति गम्भीर है। वहीं बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 76(2) अग्रिम जमानत को निषिद्ध भी करती है।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए

IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.586 of 2026

1. Ajit Kumar S/o Guput Singh R/o Vill.- Mohania Ward No.-11 & 2. Bholu Kumar S/o Munna Yadav, R/o Vill.- Devkali, Both P.S.-Mohania, Distt.- Kaimur (Bhabua) -----------Petitioners.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Durgawati P.S. Case No. 60 of 2026)

लगातार/ **25.05.2026**	*आवेदकगण **अजीत कुमार एवं 2. भोलू कुमार** की ओर से दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।* *(लेखापित)* *ह0/–बिपिन बिहारी राय* *प्र0/वि0न्या0उत्पाद–II* *(बिपिन बिहारी राय)*